राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक. एफ.6(5)डीएमआर/एसओ/2008/ 12921

जयपुर,दिनांक: 24.10

जिला कलक्टर
जोधपुर।

विषय :– चामुण्डा देवी मन्दिर (मेहरानगढ दुर्ग) जोधपुर हादसे दिनांक 30.9.2008 में मारे गये अथवा स्थाई रुप से निःशक्त व्यक्तियों के संबंध में जारी राहत एवं पुनर्वास पैकेज ।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा चामुण्डा देवी मन्दिर (मेहरानगढ दुर्ग) जोधपुर हादसे दिनांक 30.9.2008 में मारे गये अथवा स्थाई रुप से निःशक्त व्यक्तियों को पूर्व में जारी राहत एवं पुनर्वास पैकेज को निम्न प्रकार पुनः स्पष्ट किया जाता है :–

1. अनुग्रह राशि

- मृत्तक के परिजन – 5.00 लाख रु0 (पूर्व में घोषित राशि सहित)

उक्त अनुग्रह राशि के अलावा राज्य सरकार द्वारा घोषित पैकेज में मृत्तक परिवार जिनकी पारिवारिक आय समस्त स्त्रोतों से 5.00 लाख रु0 से अधिक नहीं है, के संबंध में लिये गये निर्णय निम्नानुसार है :–

2. भरण पोषण

- ऐसे बच्चे जिनके माता–पिता अब नहीं रहे हैं, उन्हें बालिग होने तक 4000/– रु0 प्रतिमाह जिला कलक्टर द्वारा चिन्हित संरक्षक के बैंक खाते में जमा कराया जायेगा, जिसमें 5 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि की जायेगी। इसी प्रकार से उपरोक्त श्रेणी की बालिकाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा उपरोक्तानुसार प्रतिमाह दी जाने वाली राशि के अलावा 2.00 लाख रु0 की एकमुश्त राशि सावधि जमा की जायेगी, जो उनके बालिग होने के उपरान्त देय होगी।
- यदि विधवा स्वंय आजीविका अर्जित नहीं कर रही हो तथा उसके अवयस्क बच्चे हों तो उसके प्रत्येक बच्चे के लिए वयस्क होने तक 1500/–रू0 प्रति माह (इसमें 5 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि की जायेगी) उसके भरण–पोषण के लिए दिये जायेगें तथा विधवा को पृथक से स्वंय के भरण–पोषण के लिए 1500/–रू0 प्रतिमाह की राशि दी जावेगी।
- ऐसे परिवार जिनमें मृतक के अलावा कोई कमाऊ सदस्य नहीं है तथा मृतक के माता–पिता पूर्ण रूप से मृतक पर ही आश्रित थे, ऐसे प्रकरणों में माता–पिता को संयुक्त रूप से 2000/–रू0 प्रतिमाह की राशि भरण–पोषण हेतु प्रदान की जावेगी।
- मृत्तक के परिवार का कोई सदस्य अथवा कोई कमाउ व्यक्ति यदि इस दुर्घटना में निःशक्त हो जाता है एवं मात्र निःशक्तता प्रतिशत के आधार पर समाज कल्याण की पेन्शन योजना के लिए पात्र पाया जाता है तो ऐसे सदस्य को स्वयं के भरण पोषण के लिए 2.00 लाख रु0 की एक बार एकमुश्त सहायता प्रदान की जायेगी।

3. शिक्षा

- पात्र परिवार के प्रत्येक बच्चे को स्कूल शिक्षा तक 12,000/–रू0 प्रतिवर्ष तथा उच्च शिक्षा के लिए 25,000/–रू0 प्रतिवर्ष प्रदान किया जायेगा। इसके अलावा ऐसे प्रत्येक बच्चे को किसी भी एक पाठ्यक्रम की कोचिंग के लिए केवल एक बार अधिकतम 50,000/–रू0 की सीमा के अन्तर्गत वास्तविक व्यय तक राशि उपलब्ध करायी जा सकेगी।

4. लडकियों की शादी

- वयस्क होने के पश्चात बालिकाओं के विवाह के समय 1.00 लाख रू0 चैक द्वारा तथा 1.00 लाख रु0 सावधि जमा राशि के रूप में अर्थात कुल 2.00 लाख रू0 उपलब्ध कराये जायेंगे।

5. आजीविका

- व्यवसायिक प्रशिक्षणः– इस प्रयोजनार्थ प्रशिक्षण (3–6 महीने) हेतु विधवा स्वंय को 1,00,000/–रू0 एवं परिवार के अन्य सदस्य को 50,000/–रू0 की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत वास्तविक लागत तक एक बार देय होगा।
- स्वरोजगार हेतु उद्योग की स्थापनाः– इस प्रयोजनार्थ उद्योग की स्थापना हेतु विधवा स्वंय को 1,00,000/–रू0 एवं परिवार के अन्य सदस्य को 50,000/–रू0 की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत वास्तविक लागत तक एक बार अनुदान देय होगा।
- यह सुविधा परिवार के किसी एक सदस्य को ही उपलब्ध रहेगी तथा ऐसा सदस्य व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ–साथ उद्योग स्थापना हेतु उपरोक्तानुसार अधिकतम 50,000/–रू0 की सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

6. स्वास्थ्य बीमा

- मृत्तक के आश्रित माता–पिता सहित परिवारजनो के लिए वर्तमान में राज्य सरकार की बी.पी.एल. परिवारों हेतु मेडिक्लेम बीमा योजना/प्रावधान को लागू किया जायेगा।

उक्त राहत एवं पुनर्वास पैकेज के तहत पात्र लाभान्वितो को देय राशि का नगद भुगतान नही किया जाकर लाभान्वित के नाम के बैंक खाते में जमा होगी।

उक्त पैकेज के अनुसार राशि पात्र व्यक्ति/परिवारों को प्रदान करते समय राज्य निर्वाचन आयोग से सक्षम अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जावे।

प्रमुख शासन सचिव
आ0प्र0 एवं सहायता विभाग।

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।

शासन उप सचिव
आ0प्र0 एवं सहायता विभाग।